सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़, 1948 (श०)
संख्या - 396 राँची, गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

6 जुलाई, 2026

विषयः-झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय "निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान" को अनिवार्य किये जाने तथा शपथ/प्रतिज्ञान पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-10/नीति नि०-07-04/2026 का.- 4371--राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों, निदेशालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों के निष्पादन हेतु सरकारी सेवकों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। सरकारी सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूरी शीलनिष्ठा रखेंगे, संविधान, विधि एवं सेवा आचरण नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निष्पक्षता, ईमानदारी बरतेंगे एवं सरकारी कार्यों की गोपनीयता बनाये रखेंगे। इस हेतु नियुक्ति के समय सरकारी सेवक के द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान लिया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है ।

2. उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 गठित है, जिसके नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठ रखेगा, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो ।

वर्त्तमान में नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय अथवा पदभार ग्रहण के समय नवनियुक्त सरकारी सेवकों के द्वारा निष्ठा एवं गोपनीयता के संबंध में कोई शपथ/प्रतिज्ञान नहीं लिया जाता है और न ही सरकार को समर्पित किया जाता है ।

3. अतएव राज्य अन्तर्गत सुशासन, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने तथा सरकारी अभिलेखों एवं संवेदनशील सुचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उदेश्य से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय/पदभार ग्रहण के समय नवनियुक्त सरकारी सेवकों से निष्ठा एवं गोपनीयता के संबंध में शपथ/प्रतिज्ञान प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं-

(i) झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सभी विभागों/कार्यालयों एवं अधीनस्थ संस्थानों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय अथवा पदभार ग्रहण करते समय सभी नवनियुक्त सरकारी सेवकों के लिए निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य किया जाए। शपथ/प्रतिज्ञान पत्र अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है ।

(ii) उक्त शपथ/प्रतिज्ञान नवनियुक्त सरकारी कर्मी द्वारा सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पढ़ा जायेगा तथा योगदान के समय नवनियुक्त सरकारी कर्मी द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष पढ़कर हस्ताक्षर उपरांत समर्पित किया जायेगा ।

5. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगी ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-4308 दिनांक-02.07.2026 के क्रम दिनांक-02.07.2026 की बैठक के मद संख्या-20 के रूप में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-'क'

झारखंड सरकार की सेवा में नियुक्त होने पर सरकारी सेवक के द्वारा

लिया जाने वाला शपथ/प्रतिज्ञान पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता ....., पद ..... झारखंड सरकार की सेवा में नियुक्त होने पर, ईश्वर/सत्यनिष्ठा की शपथ लेता/लेती हूँ कि-

(i) मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा/रखूँगी तथा संविधान में निहित न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा के लिए सदा प्रयासरत रहूँगा/रहूँगी।

(ii) मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ, बिना किसी पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए करूँगा/करूँगी।

(iii) मैं समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाखोरी, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु सदैव प्रयासरत रहूँगा/रहूँगी।

दिनांकः .....

स्थानः .....

हस्ताक्षरः .....

नामः .....

पदः .....

(यह शपथ पत्र नवनियुक्त सरकारी कर्मी द्वारा सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पढ़ा जायेगा तथा योगदान के समय नवनियुक्त सरकारी कर्मी द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष पढ़कर हस्ताक्षर उपरांत समर्पित किया जायेगा)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 396 - 50